पटना उच्च न्यायालय के

विशेष पीठ में

सिविल संदर्भित सं.- 2/1960

निर्णय लियाः 07.02.1962

बालेश्वर लाल मोख्तार के मामले में - अपीलकर्ता

विधि व्यवसायी अधिनियम्, 1879 - धारा 13(बी)

यह मामला एक मुख्तार, जो मुंसिफ - मजीस्ट्रेट के कार्ट में वकालत करता है, से संबंधित है जिसने अभियुक्त के जमानतदार को पहचान किया था। जब एक दिन अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ, तो उसके जमानतदार को कारण - पृच्छा नोटिस दिया गया। नोटिस जब भेजा गया, तो उक्त नाम का कोई व्यक्ति उस पते पर नहीं मिला, तो मुख्तार जिसने पहचान की थी, को जमानतदार का सही पता देने का निर्देश दिया गया, लेकिन मुख्तार निर्देश का पालन करने में विफल रहा। तदनुसार, उनके खिलाफ विधि व्यवसायी अधिनियम् की धारा 13(बी) के फलस्वरुप दो(2) साल के लिये वकालत से निलंबित कर दिया गया।

निर्णिय किया गया कि ***मोख्तार ने आरोपी के साथ मिलीभगत से जानबूझकर अस्तित्वविहीन जमानतदार का पहचान किया। उनके इस आचरण से उन्हें को मुख्तारों के रोल पर रखने लायक नहीं है।***

आदेश दिया गया कि वादी को मुख्तारों की सूची से वर्खास्त किया जाये।

[पैरा 1, 2, और 3]

पटना उच्च न्यायालय के

विशेष पीठ में

सिविल संदर्भित सं.- 2/1960

निर्णय लियाः 07.02.1962

बालेश्वर लाल मोख्तार के मामले में - अपीलकर्ता

माननीय न्यायमूर्तिगण/कोरम

एस.सी. मिश्रा, उदय सिन्हा और एस.पी. सिंह, न्यायमूर्तिगण

अधिवक्तागण :-

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः अपर सरकारी वकील

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिएः परमानंद सरन सिंह, अधिवक्ता

आदेश

1. मोघिर में वकालत करने वाले श्री बालेश्वर लाल, मुख्तार के खिलाफ यह कार्यवाही, उसके द्वारा जमानतदार किशन गोप की एक पहचान से संबंधित है, जो मामले संख्या-92OC2/1958 (राज्य बनाम बैजनाथ सिंह और अन्य) में एक आरोपी व्यक्ति बलदेव मुशहर के लिए श्री रामकृपाल सिंह मुन्सिफ-दंडाधिकारी, मोंघिर की अदालत में जमानतदार के रूप में के लिए खड़ा था। अभियुक्त को नियत समय पर जमानत दे दी गई, लेकिन मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ और स्पष्ट रूप से फरार हो गया। तदनुसार,जमानतदार किशुन गोप को कारण बताओ के लिए नोटिस जारी किया गया था कि उनके जमानत बांड को क्यों जब्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नोटिस नहीं

दिया जा सका क्योंकि जमानत बांड में दिए गए व्यक्ति का नाम, माता-पिता और पते का कोई व्यक्ति नहीं मिला था। मुख्तियार, श्री बालेश्वरलाल ने जमानतदार की पहचान की थी, तदनुसार उन्हें अदालत द्वारा किशन गोप का सही पता देने का निर्देश दिया गया था; लेकिन मुख्तियार अदालत के निर्देश का पालन करने में विफल रहे।

तदनुसार, उनके खिलाफ विधि व्यवसायी अधिनियम की धारा 13 (बी) के तहत एक आरोप गठित किया गया और उन्हें यह कारण पृच्छा नोटिस इस आशय का दिया गया था कि आरोपी बलदेव मुशहर के जमानती किशुन गोप की गलत पहचान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। 5 फरवरी, 1960 को विधिवत नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने निर्धारित तिथि पर कारण पृच्छा नोटिस का जबाब नहीं बताया। हालाँकि, आदेश-फलक से ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी, 1960 को मोक्तियार, श्री बालेश्वरलाल की ओर से कारण बताने के लिए एक महीने के समय के लिए एक याचिका दायर की गई थी। विद्वान मुन्सिफ-दंडाधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा और 22 मार्च, 1960 को निर्धारित तिथि तक कारण बताओ याचिका दायर की जानी चाहिए। हालांकि, मोख्तार ने उस तारीख को भी कारण बताओ याचिका नहीं लगाई थी। तदनुसार विद्वान मुन्सिफ ने उपलब्ध सामग्रियों की जांच की और पाया कि

> "8-8-60 के पारित आदेश के माध्यम से उक्त मोक्तियर के खिलाफ गलत और झूठी पहचान का आरोप स्थापित किया गया है, और वह विधि व्यवसायी अधिनियम की धारा 13 के तहत निलंबन या बर्खास्तगी या किसी अन्य सजा का हकदार है। "

उन्होंने इस आशय की एक रिपोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोंघिर को भेजी। विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्वान मुन्सिफ-दंडाधिकारी के निष्कर्ष का समर्थन किया और अपनी सिफारिश इस

न्यायालय को भेज दी कि मुख्तियार को कम से कम दो साल के लिए वकालत से निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

2. इस अदालत में बालेश्वरलाल का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री परमानंद सरन सिन्हा ने किया है। चूँकि उन्होंने विद्वान मुन्सिफ दंडाधिकारी के समक्ष कारण-पृच्छा याचिका दायर करने का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए हमने उन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारे समक्ष सुनवाई का अवसर देना उचित समझा ताकि वे उन परिस्थितियों को समझा सकें जिनमें उन्होंने किशन गोप, उनके माता-पिता और जमानत बांड में दिए गए पते की पहचान उस इलाके के एक वास्तविक किशन गोप के रूप में की थी, हालांकि बाद में ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं पाया गया था। विद्वान वकील ने मोख्तियार की बीमारी के आधार पर समय के लिए प्रार्थना की। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 24 फरवरी, 1960 को एक महीने के लिए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन वह वहां भी उपस्थित होने में विफल रहे जैसा कि ऊपर बताया गया है।

इस न्यायालय में सुनवाई को 24 जनवरी, 1962 तक के लिए स्थगित करते हुए, हमने 17 जनवरी, 1962 को एक बार विद्वान वकील को समय दिया। उस तारीख को मोक्तियार की निरंतर बीमारी के आधार पर सुनवाई को 7 फरवरी, 1962 तक स्थगित करने के लिए फिर से प्रार्थना की गई थी, लेकिन बालेश्वरलाल आज भी पेश नहीं हुए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उन्होंने न केवल विद्वान मुन्सिफ-दंडाधिकारी की बल्कि इस न्यायालय के आदेश की भी निरंतर अवहेलना की है। श्री परमानंद सरन सिन्हा ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल को कई पत्र लिखे लेकिन उन्होंने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया।

इसलिए यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि मोख्तियार ने किशुन गोप की पहचान उन परिस्थितियों में जमानतदार के रूप में की जो आरोपी बलदेव मुशहर के साथ उसकी मिलीभगत के प्रबल संदेह को जन्म देती हैं ताकि वह भाग सके और किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा

सके क्योंकि जमानत बांड में दिए गए माता-पिता और पते का कोई किशुन गोप वास्तव में मौजूद नहीं था। उनके इस तरह के आचरण ने बालेश्वर लाल को मोख्तियारों के रोल पर रखने के लिए अयोग्य बना दिया। यहाँ तक कि मुख्तियार का आचरण भी दोगुना निंदनीय है क्योंकि उसकी ओर से विद्वान मुन्सिफ दंडाधिकारी के समक्ष कारण बताओ याचिका दायर करने और हमारे सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से इनकार कर दिया गया था। उसके पक्ष में कोई उत्तेजक परिस्थिति नहीं है।

3. तदनुसार हम आदेश देते हैं कि श्री बालेश्वरलाल को मोख्तियारों की सूची से बर्खास्त किया जाए और उनका नाम सूची से हटा दिया जाए।

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।